B.M.A College Baheri Darbhanga (L.N.M.U)
BA (Hons) part-1 पेपर-1
Date 7.10.20
Dr Manoj Kumar Sah
Deptt of Pol-Sci

नागरिकता की परिभाषा

नागरिकता वह शब्द है जो प्राचीन काल में प्रायः गलत समझा जाता था। उस समय यह विश्वास किया जाता था कि जो लोग नगरों में रहते हैं केवल वही नागरिक हैं दूसरे नहीं हैं परन्तु यह धारणा पर्याप्त रूप से स्पष्ट की गई है। अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। कि कोई गाँव में अथवा नगर में रहता है सब नागरिक हैं। यदि उनमें अपेक्षित सभी गुण हों तथा वे राज्य द्वारा लागू किये गए अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करने के इच्छुक हों।

प्राचीन काल में नागरिकता की विचारधारा को बड़ा ही संकुचित रखा जाता था। उस समय नागरिकता के अधिकार केवल कुछ लोगों को ही प्राप्त थे जबकि साधारण जनता को ऐसे अधिकार प्राप्त ही नहीं होते थे। अरस्तू के अनुसार वास्तविक रूप में केवल कुछ ही लोगों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो सकते थे तथा स्त्रियाँ, दास तथा अन्य कई वर्गों के लोग इन अधिकारों से वंचित रखा जाता था और इस प्रकार उन्होंने नागरिकता की एक बड़ी संकुचित परिभाषा बना रखी थी। उनको मतदान के भी अधिकार प्राप्त नहीं थे।

अब स्थिति में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया है। अब नागरिकता के अधिकार उन सबको प्राप्त होते हैं जो या तो उस राष्ट्र की सीमा में जन्म लेते हैं अथवा उनका संबन्ध माँ-बाप से है जो एक विशेष राज्य के नागरिक हैं। परन्तु सबसे ऊपर वे सब नागरिक बन सकते हैं जो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को बड़ी ईमानदारी तथा श्रद्धापूर्वक पूरा करने के इच्छुक हैं। गैटल ने कहा है कि - नागरिक समाज के सदस्य हैं जो कुछ कर्तव्यों द्वारा उससे बंधे होते हैं उसकी प्रभुसत्ता को मानते हैं तथा उसमें उपलब्ध होने वाले सभी लाभों को समान रूप से प्राप्त करते हैं।